न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–55/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री हुरमत जाति मेव,
2. महती पुत्री स्व0 हुरमत पत्नी पानूखां जाति मेव निवासीयान सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. मक्को पुत्री कमलू पत्नी रहमान जाति मेव निवासी माचडी तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
2. मकूल खां पुत्र कमलू जाति मेव निवासी सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0

..... असल रेस्पोडेन्ट

4. कासमदीन पुत्र स्व0 हुरमत जाति मेव,
5. साहबदीन पुत्र स्व0 हुरमत जाति मेव,
6. हाकमदीन पुत्र स्व0 हुरमत जाति मेव,
7. हिम्मी पत्नी स्व0 रोशन जाति मेव,
8. लियाकतअली पुत्र स्व0 रोशन जाति मेव,
9. इरफानखां पुत्र स्व0 रोशन जाति मेव,
10. शकील अहमद पुत्र स्व0 आसमदीन जाति मेव,
11. आलमखां पुत्र स्व0 आसमदीन जाति मेव, निवासीयान सरहेटा तहसील रामगढ
12. शाहरूकखां पुत्र स्व0 आसमदीन जाति मेव,
13. जोयलखां पुत्र स्व0 आसमदीन जाति मेव, नाबालिग जरिये सरपरस्त माता जरीना बेवा आसमदीन निवासीयान सरहेटा,
14. जरीना पत्नी स्व0 आसमदीन निवासी सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर।
15. रेशमी पत्नी दीनूखां पुत्री स्व0 हुरमत जाति मेव,
16. हकीमन पत्नी उन्नसखां पुत्र स्व0 हुरमत जाति मेव,
17. आयशा पुत्री स्व0 रोशन जाति मेव,
18. मेहरम पुत्री स्व0 रोशन जाति मेव,
19. रिहाना पुत्री स्व0 रोशन जाति मेव,
20. रूकसार पुत्री स्व0 रोशन जाति मेव,
21. रूकसाना पुत्री स्व0 आसमदीन जाति मेव,
22. शबाना पुत्री स्व0 आसमदीन जाति मेव,

23. नजराना पुत्री स्व0 आसमदीन जाति मेव निवासीयान सरहेटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश यादव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक एक राजस्व वाद बाबत आराजी बंदोबस्त संवत 2058 के हाल खसरा नंबर 05 रकबा 3.67 है0, साबिक खसरा नंबर 4/126 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा का 14 बीघा 10 बिस्वा रकबा, हाल खसरा नंबर 41 रकबा 0.01 है0, 42 रकबा 0.79 है0, साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 63 रकबा 0.81 है0, साबिक खसरा नंबर 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 78 रकबा 1.20 है0,साबिक खसरा नंबर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 79 रकबा 0.82 है0, साबिक खसरा नंबर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडी तहसील रामगढ पेश किया गया। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें उसने अंकित किया है कि मिन प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही रखते हैं और ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है बल्कि मिन प्रतिवादी संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। इसलिये वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.05.2019 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी है। अपीलांट एवं असल रेस्पो0 तथा तरतीबी रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी निबाजखां पुत्र जवाहर मेव नाई की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कमलूखां को विरासत में प्राप्त हुई थी। कमलू खां ने अपने जीवनकाल में

दो शादियां की थी। अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 मृतक हुरमतखां के जायज वारिसान हैं। कमलू खां की द्वितीय पत्नी रहीमी ने अपने जीवनकाल में बंदोबसत संवत 2020 के हाल आराजी खसरा नंबर 25 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 45 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 4/126 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, वाके ग्राम बाघोडी का दानपत्र दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 अपनी पुत्री रेस्पो0 संख्या 01 के नाम करवा दिया तथा जिस दानपत्र का इंतकाल संख्या 36 दिनांक 02.08.1972 रेस्पो0 संख्या 01 के पक्ष में मंजूर हुआ। चूंकि विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 की पैतृक आराजी है जो उनको अपने पडदादा निबाजखां की विरासत में प्राप्त हुई है।कमलू खां दादा को मक्को के नाम पैतृक आराजी का दानपत्र करने का कोई हक वो अधिकार कानूनन नही है। कमलू खां ने अपने पिता की पैतृक आराजी खसरा नंबर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, 61 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा ग्राम बाघोडी का 1/2 भाग रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहमण का विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 28.06.1971 से रेस्पो0 संख्या 01 के नाम कमलू खां ने कराया है। जिसका इंतकाल संख्या 32 तथा आराजी खसरा नंबर 60, 61 का 1/2 भाग तथा खसरा नंबर 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सालिम ग्राम बाघोडी का विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1971 पंजीबद्ध दिनांक 17.06.1971 रेस्पो0 संख्या 01 के नाम कमलू खां ने कराया है जिसका इंतकाल संख्या 31 दर्ज कर स्वीकार हुआ है। कमलूखां ने रामजीलाल व नन्दकिशोर को विक्रय पत्र की राशि अदा नही की क्योंकि उपरोक्त आराजी निवाजखां पुत्र जवाहर के कब्जे काश्त की आराजी थी जो आधी बटाई पर निवाजखां ने रामजीलाल व नन्दकिशोर को बताई हुई थी। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जिन्होंने उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करा लिया। चूंकि अपीलांट, असल रेस्पो0 व तरतीबी रेस्पो0 एक ही कुटुम्ब व परिवार के सदस्य थे और उनकी पैतृक आराजी थी।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज का वादपत्र सुनने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निस्तारण करने से पूर्व तनकीयात कायम करनी चाहिये थी तथा उस पर साक्ष्य एकत्रित करके गुणावगुण के आधार पर वादपत्र निर्णीत करना चाहिये था। यदि वादपत्र श्रवण योग्य नही था तो आदेश 07 नियम 10 जा.दी के प्रावधान के अनुसार वादपत्र खारिज नही करके सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वादी को लौटा देना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वादीगण अपीलांटस ने मिथ्या कथन करते हुये वाद पेश किया था। उक्त खसरा नंबरान रेस्पो0 मक्को पुत्री कमलू की तन्हा खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नही है। गलत तथ्यों के आधार पर अन्य मुश्तर्का खाता में शामिल खसरा नंबरान के साथ उपरोक्त आराजी जो कि रेस्पो0 के स्वयं की खातेदारी की आराजी है उसे वाद में शामिल करते हुये न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास किये गये हैं। खाता संख्या 50 की आराजी के अलावा खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी को अनावश्यक रूप से विवादित आराजी दर्शाया गया है। वादीगण अपीलांटस का यह कथन कि उक्त खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 को उनके बुजुर्गों से सिलिंग के दौरान मिली है इसके लिये वादीगण अपीलांटस को सिविल कोर्ट में वाद पेश करने की आवश्यकता है राजस्व न्यायालय को इस प्रकार का वाद सुनने का

कानूनन अधिकार नही है। खाता संख्या 20 में दर्ज आराजी रेस्पो0 की स्वयं की खरीदशुदा आराजी है जिसकी मालिक तन्हा रेस्पो0 है, जो काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार सही निर्णय पारित किया है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 का अवलोकन किया।

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजीयात असल रेस्पोडेण्टान को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र एवं पंजीबद्ध दानपत्र द्वारा प्राप्त हुई है।

अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि विक्रय पत्र की राशि अदा नही की और विक्रय पत्र दूसरी पत्नी रहीमी के दबाव में आकर करवाया गया है, कथन आधारहीन व कानून के विपरीत होने से मान्य नही है। इसके अतिरिक्त पंजीबद्ध दानपत्र द्वारा जो आराजीयात प्राप्त हुई है, जब तक दानपत्र सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है, असल रेस्पो0 को उनके अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता। इस प्रकार विधिक रूप से प्राप्त विवादित आराजीयात, जो पंजीबद्ध बयनामा या दानपत्र से प्राप्त हुई है, के निरस्तीकरण सिविल न्यायालय द्वारा नही करवाया जाता, अपीलांट को विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का हक/अधिकार उत्पन्न नही होता है। तहत अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पर सही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिज के है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 31.05.2019 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर